

ऑटोमोटिव पार्ट्स सर्वेन्ट्स एसोसियेशन(रजि.)

दूरभाष : 23967505

10, वरदान हाउस, प्रथम तल, चाबीगंज

23948000

कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

नरेन्द्र मदान
चुनाव आयुक्त, अपमा
सत्र 2016-2018

मै0 वेलकम ऑटो सेन्टर
1/514, बाजारगंदा नाला
कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006.
फोन : कार्यालय : 23918164, 9811058835

सभी सम्मानीय सदस्य, अपमा

सरकूलर नं0 : 10

दिनांक : 18-10-2016

अपमा/चुनाव 2016-2018

अपमा चुनाव - 2016-2018

आप व्यापारी भाईयों के सूचनार्थ पुनः एक बार ध्यान दिलाना चाहते हैं कि दो वर्ष में एक बार ऐसा मौका आता है जिसमें आप आने वाले दो वर्षों के लिए अपने व्यापार के हितों के लिए ऐसे सक्षम एवं समर्थ लोगों का चयन करते हैं जिनसे ना केवल आपको उम्मीदें ही होती हैं वरन् आपको पूर्ण विश्वास होता है कि वे आपके दिये हुए वोट का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। अतः आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मतदान अवश्य करें।

मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों गुवाहाटी मोटर डीलर्स एसोसियेशन के चुनाव हुए उनके 334 सदस्य हैं जिन में से 332 सदस्यों ने मतदान किया और केवल 2 लोग भी वह थे जो गुवाहाटी में नहीं थे, अतः मेरा आपसे निवेदन है कि ऐशिया की सबसे बड़ी मार्केट कही जाने वाली संस्था के सदस्यों से मेरा आग्रह है कि वे भी अधिक से अधिक संख्या में मतदान करके एक मिसाल कायम करें।

मुझे उम्मीद है कि आप सब तक अपमा कार्यालय से वोटर सिलिप पहुँच गई होगी यदि किसी कारणवश वह ना मिली हो तो कृपया अपमा कार्यालय से मंगवा लेंवे अन्यथा मतदान वाले दिन मतदान केन्द्र पर भी मिल जायेगी परन्तु हो सकता है आपको वहाँ पर कुछ प्रतीक्षा करनी पड़े।

कृपया मतदान करने के लिए केवल फर्म के नोमीनी जिनका नाम हमारे रिकार्ड में हैं आए तथा अपना फोटो पहचान पत्र जिसमें आपकी फोटो लगी हो (जैसे-अपमा का आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स का पेन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड) इनमें से कोई भी एक साथ जरूर लाएं।

प्रधान पद के मतपत्र(Ballot Paper) पर किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में मोहर लगा सकते हैं, अधिक मोहर लगाने पर मतपत्र(Ballot Paper) निरस्त कर दिया जायेगा तथा कार्यकारिणी के मतपत्र (Ballot Paper) पर ज्यादा से ज्यादा 20 प्रत्याशियों के पक्ष में मोहर लगा सकते हैं या 20 से कम प्रत्याशियों के पक्ष में भी मोहर लगा सकते हैं परन्तु 20 से ज्यादा प्रत्याशियों के पक्ष में मोहर लगाने पर मतपत्र(Ballot Paper) पर निरस्त कर दिया जायेगा।

मतदान 20 अक्टूबर 2016 को प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक तिकोना पार्क कश्मीरी गेट में होगा। अतः आप अपना वोट तो डालें ही परन्तु अपने कम से कम एक पड़ोसी दुकानदार को भी अवश्य साथ में लाएं और उनका भी मतदान करवाएं। आपका मतदान आने वाली टीम का चयन करेगा।

कृपया ध्यान दें :- वोट एक ऐसी धरोहर है जो सिर्फ आपके पास है, इसका प्रयोग अवश्य करें”

(नरेन्द्र मदान)

अपमा चुनाव आयुक्त

सत्र 2016-2018